

**राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा**

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक एफ.1(ब)(17)स्था./डीटीए/ 1169-1211

दिनांक : 13-9-2017

सूचना

कार्मिक (क-5) विभाग के पत्र क्रमांक प.15(7)कार्मिक/क-5/2017 दिनांक 15.03.2017 के अनुसार छठे राज्यस्तरीय सिविल सेवा सी.एस चैलेन्जर कप लॉन टेनिस प्रतियोगिता एवं द्वितीय राजस्तरीय सिविल सेवा सी.एस चैलेन्जर कप बेडमिन्टन प्रतियोगिता 2017-18 का आयोजन 25.11.2017 से 27.11.2017 तक संभावित है।

राजस्थान लेखा सेवा की ओर से संभागी अधिकारीगण की प्रविष्टियां इस निदेशालय के माध्यम से 10.10.2017 तक भेजी जानी हैं। दोनों खेलों के लिए 11-11 खिलाड़ियों के नाम भेजे जाने हैं जिनमे 7 पुरुष (5 + 2 Veterans) एवं 4 महिलाएं होंगी।

अतः उक्त खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक सभी राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया वे अपनी प्रविष्टि खेल का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख करते हुए इस निदेशालय को 30-09-2017 तक प्रेषित करें। वांछित से अधिक नाम प्राप्त होने पर छंटनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

संलग्न :- कार्मिक (क-5) विभाग का पत्र क्रमांक प.15(7)कार्मिक/क-5/2017 दिनांक 15.03.2017


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.1(ब)(17)स्था./डीटीए/ 1169-1211

दिनांक : 13-9-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. हृदयेश कुमार जुनेजा, अध्यक्ष, राजस्थान लेखा सेवा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त कोषाधिकारी..... को राज. लेखा सेवा के अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
4. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को डीटीए की साईट पर अपलोड करने हेतु
5. नोटिस बोर्ड।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक: प15(7)कार्मिक/क-5/2017

जयपुर, दिनांक : 15.11.2017

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
2. समस्त प्र. शा. सचिव/शा. सचिव/वि. शा. सचिव
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

विषय :- षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता एवं द्वितीय राज्यस्तरीय सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2017-18 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता एवं द्वितीय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2017-18 का जयपुर जिले में दिनांक 25.11.2017 से 27.11.2017 तक आयोजन कराया जाना विचाराधीन है।

कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की सूचना दिनांक 10.10.2017 तक प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिभाशाली अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतियोगिता में व्यापक भागीदारी हो सके, इस हेतु कृपया समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का भी श्रम करावें।

संलग्न : दिशा-निर्देश

भवदीय,



(रमेश चंद्र दीक्षित)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त प्रतियोगितायें आयोजित कराने के लिए संबंधित बजट की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी तथा प्रतियोगिता के आयोजन एवं आवश्यक व्यवस्था की तैयारी कराने का श्रम करावें।
2. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in पर News में अपलोड कराने का श्रम करावें।
3. अवधाता, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को सचिवालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का श्रम करावें।

(कैलाश चन्द्र)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता हेतु दिशा-निर्देश

1. **प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान :-** इस प्रतियोगिता का नाम षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता एवं द्वितीय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2017-18 होगा। यह प्रतियोगिता दिनांक 25.11.2016 से 27.11.2016 तक जिला जयपुर में आयोजित की जायेगी।

2. **प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम एवं एन्ट्री भेजने का माध्यम :-**

क्र.सं.	टीम का नाम	एन्ट्री भेजने का माध्यम
1.	राजस्थान मंत्री परिषद	प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल, शासन सचिवालय, जयपुर
2.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3.	भारतीय पुलिस सेवा (IPS)	शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4.	भारतीय वन सेवा (IFS)	शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS)	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6.	राजस्थान पुलिस सेवा (RPS)	शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7.	राजस्थान लेखा सेवा (RACS)	निदेशक, लेखा, वित्त भवन, जयपुर
8.	राजस्थान वन सेवा (RFS)	शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (RCRD)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वाणिज्यिक भवन, जयपुर
10.	राजस्थान परिवहन सेवा (RTS)	आयुक्त, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर
11.	राजस्थान सचिवालय सेवा (RSS), राजस्थान	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
12.	राजस्थान चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा	विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
13.	राजस्थान आयोजना सेवा	विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
14.	राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर
15.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (सा.नि.वि., सिंचाई, जन स्वा.अभि. वि.)	संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
16.	राज्य बीमा सेवा	निदेशक, राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
17.	राजस्थान कृषि सेवा	आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर

3. **खेलवार खिलाड़ियों की संख्या :-**

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	खिलाड़ियों की कुल संख्या
1.	6th Rajasthan State Civil Services CS Challenger Cup Tennis Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 Man (5+2 Veterans) & 4 Women)	11 x 17 = 187
2.	2nd Rajasthan State Civil Services CS Challenger Cup Badminton Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 Man (5+2 Veterans) & 4 Women)	11 x 17 = 187

4. **किट (खेल पोशाक) :-**

- सभी टीमों को निर्धारित किट (खेल पोशाक) में ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जावेगा।
- खेल पोशाक पर खेल नियमानुसार चेस्ट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
- सभी टीमों के प्रतिभागियों को निर्धारित किट (फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट) एवं फ्लेग आयोजनकर्ता (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. **प्रतियोगिता (इवेंट) का निरस्तीकरण :-**

- टेनिस एवं बैडमिंटन में पर्याप्त एवं स्तरीय प्रविष्टि नहीं होने पर संबंधित खेल के इवेंट को निरस्त करने का अंतिम निर्णय आयोजन समिति के अध्यक्ष का होगा।
- महिलाओं की श्रेणी में कम से कम 4 एन्ट्री प्राप्त होने पर ही प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।

6. **प्रतियोगिता का प्रचार-प्रसार :-** संबंधित विभागों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जावेगी तथा SMS/e-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

7. **टीम चयन की प्रक्रिया :-**

- टीम के चयन हेतु :-** संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ी अधिकारियों के आवेदन पत्र संक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :-

क्र.सं.	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id
---------	------------	-----	-------	-------	-----------	-----------

- आवेदन पत्रों का संकलन :-** संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित कर शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त प्रारूप में भिजवाई जावेगी।

Handwritten signature

- **चयनित टीम की सूचना :-** संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार उपस्थित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता को भिजवाते हुये प्रतिलिपी शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भी भिजवाई जावेगी :-
 - प्रतियोगिता का नाम
 - टीम का नाम
 - खेल का नाम
 - चयन ट्रायल की दिनांक
 - चयन ट्रायल का स्थान
 - चयन किये जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या
 - चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार

क्र.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id
--------	------------	-----	-------	-------	-----------	-----------

➤ हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम भय पदनाम)

- **रिजल्ट शीट :-** टेनिस एवं बेडमिंटन खेल में चयन हेतु तैयार की गई रिजल्ट शीट भी भेजी जावे।

8. प्रतियोगिता का प्रारूप :-

- प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपस्थित विपक्षी टीम को वॉकओवर देकर विजेता घोषित कर दिया जावेगा।
- यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आधा घण्टे के भीतर रु. 500/- जमा कराकर प्रोटेस्ट कर सकता है।
- प्रोटेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- सभी खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा खेल सद्भावना एवं खेल भावना के साथ खेलना होगा।
- खेल के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
- अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेंगे। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

9. खेल के नियम :-

- प्रतियोगिताएं वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर आयोजित की जावेगी।
- प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का निर्णय अन्तिम होगा।
- सभी खेल लीग कम नॉक आउट आधार पर खेले जायेंगे।
- प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जावेगी।
- टेनिस एवं बेडमिंटन के मैच बेस्ट ऑफ थ्री के फॉरमेट में आयोजित किये जायेंगे। प्रथम मैच पुरुष डबल, द्वितीय मैच वेटर्न (45 वर्ष से उपर) डबल, तृतीय मैच पुरुष सिंगल का होगा।
- केवल एक खिलाड़ी अधिकतम दो मैचों में भाग ले सकेगा।

10. राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :-

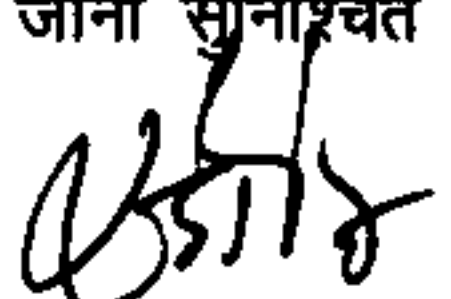
- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों को ऑन ड्यूटी माना जायेगा एवं नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।

11. प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :-

- रैफरी को रु. 300/- प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जावेगा।
- प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए क्वालीफाईड रैफरी संबंधित स्थानीय खेल संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेंगे।
- आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से खेल अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहेंगे।

12. आयोजनकर्ता के कार्य :-

- उदघाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/माईक आदि की व्यवस्था।
- प्रमाण-पत्र, पुरस्कार (रनर एवं विनर) एवं स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरण की व्यवस्था।
- टीमों की आवास व्यवस्था आदि।
- अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
- प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
- प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।


 (रमेश चंद्र दीक्षित)
 शासन उप सचिव